रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1625] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2014/श्रावण 28, 1936
No. 1625] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2014/SHRAVANA 28, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2014

का.आ. 2074(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के कैमूर जिले में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20ब की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयेग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भू–अर्जन अधिकारी, कैमूर, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगें और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुवनाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा और जाँच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए कैमूर जिले के भीतर आने वाली भूमि जिसका अर्जन किया जाना है, का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम – कैमूर

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	थाना नं0	प्लाट सं. (चक)	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
(1)	(1) कुदरा	(1) सकरी	659	21	0.0135
				24	0.0091
		(2) तरहनी	667	11	0.2800
				10	0.0296
				9	0.0010
		(3) अमिरथा	649	179	0.0840
				173	0.0234
				172	0.0930
				171	0.0648
				170	0.0384
(2)	(2) मोहनियाँ	(1) पकड़ीहार	542	293	0.0642
				281	0.2846
		(2) देवरिया	545	66	0.0819
				78	0.0680
				79	0.0722
(3)	(3) दुर्गावती	(1) खजुरा	7	145	0.0041
				72	0.0076
				110	0.3470
				112	0.0289
				1297	0.0243
		(2) चेहरियाँ	56	1185	0.0141
				1209	0.0066
				780	0.0269
				679	0.3926
				681	0.0486
		(3) अमिरती	50	61	0.1558
				64	0.0552
				65	0.0892
				135	0.0101
		(4) दहीयाँव	109	58	0.1638
				55	0.0858
				59	0.0162
		(5) कुल्हड़ियाँ	2	943	0.0798
				942	0.1830

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/513]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, 19th August, 2014

SO. 2074(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District of Kaimur in the state of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer, Kaimur, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the Land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling with in the Special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Kaimur in the State of Bihar.

Name of District - Kaimur

Sr. No.	Name of the Tahshil	Name of the Village	Thana No.	Plot No. (Chak)	Area in Hectares.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(1) Kudra	(i) Sakri	659	21	0.0135
				24	0.0091
		(ii) Tarhani	667	11	0.2800
				10	0.0296
				9	0.0010
		(iii) Amiratha	649	179	0.0840
				173	0.0234
				172	0.0930
				171	0.0648
				170	0.0384
(2)	(2) Mohnia	(i) Pakdihar	542	293	0.0642
				281	0.2846
		(ii) Dewaria	545	66	0.0819
				78	0.0680
				79	0.0722

(3)	(3) Durgawati	(i) Khajura	7	145	0.0041
				72	0.0076
				110	0.3470
				112	0.0289
				1297	0.0243
		(ii) Chrhariya	56	1185	0.0141
				1209	0.0066
				780	0.0269
				679	0.3926
				681	0.0486
		(iii) Amirati	50	61	0.1558
				64	0.0552
				65	0.0892
				135	0.0101
		(iv) Dahiyaw	109	58	0.1638
				55	0.0858
				59	0.0162
		(v) Kulhadiya	2	943	0.0798
				942	0.1830

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/513]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities -1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.